8/3/2018 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो० अभि० उपस्थित। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन करते हुए मैं प्रस्तुत राजीनामा पर ध्यान पूर्वक गौर किया। उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा प्रकरण क्र. 96/2015 (अपील) श्रीमती जानकी बाई बनाम नरेश कुमार आदि में पारित निर्णय दि. 12.12.17 को अपास्त किया जाकर नामा० क्र. 482 ग्राम नयानोरा को पुनर्वास रखे जाने का अनुरोध चाहा गया है मुताबिक राजीनामा रेस्पो० अपी० 1 लगायत 6 अपील को कन्टेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मुताबिक राजीनामा अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार राजकीय हित प्रभावित होना प्रकट नहीं होता है। अतः न्यायहित में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जो अपील निर्णय दि. 12.12.17 अपास्त किया गया है तथा नामा० सं. 482, ग्राम नयानोरा तह. लाडपुरा पुनर्वास रखा गया है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय घोषित।

(प्रियंका गोस्वामी)
डी० ए० जे०

नि. अनुज जानकी बाई

नि. अ. श्रीलाल बाई

राम भरोसे बाई

पवन कुमार

जितेन्द्र कुमार

दमयन्ती

रेस्पो की पहचान
शिवनारायण ठाकुर एडवो०

(अविनाश ठाकुर)